भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 940

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

7 श्रावण, 1946 (शक)

भारत में ई-स्पोर्ट्स

940 श्री तनुज पुनिया:
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :
श्री हरीश चंद्र मीनाः
डॉ. अमर सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में ई-स्पोर्ट्स को औपचारिक रूप देने और ई-एथलीटों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ई-स्पोर्ट्स विशिष्ट नियामक निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने देश में ई-स्पोर्ट्स के प्रबंधन और नियंत्रण के संबंध में कोई नीति या दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;
(घ) क्या सरकार ई-स्पोर्ट्स को परिभाषित करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या यह अस्पष्टता को दूर करने के लिए रियल मनी ऑनलाइन गेम से भिन्न है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): देश में ई-स्पोर्ट्स को औपचारिक रूप देने के लिए ई-स्पोर्ट विशिष्ट विनियामक निकाय की स्थापना के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत में ई-स्पोर्ट के प्रबंधन एवं नियंत्रण के संबंध में कोई विशिष्ट नीति या दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं। सरकार खेलों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को मान्यता देती है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (खेल संहिता) में एनएसएफ को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। यह खेल संहिता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in पर उपलब्ध है।

(ड.): बहु-खेलों के अंतर्गत ई-स्पोर्ट्स रियल मनी ऑनलाइन गेम्स से भिन्न है ।

****